न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा, नालन्दा
सत्र वाद सं0–552/22
चण्डी थाना कांड सं0– 371/17

उपस्थित
दीपक कुमार यादव
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा, नालन्दा

राज्य द्वारा : विद्यानन्द प्रसाद (सूचक).....अभियोजन

बनाम

1. नगीना प्रसाद पिता स्व0 ब्रह्मदेव महतो, उम्र करीब 63 वर्ष
2. आकश कुमार पिता नगीना प्रसाद, उम्र करीब 30 वर्ष
3. विकाश कुमार पिता नगीना प्रसाद उम्र करीब 36 वर्ष

सभी सा0– धर्मपुर, थाना चण्डी, जिला नालन्दा

प्राथमिकी : चण्डी थाना कांड सं0– 371/17

संज्ञान : दि0–24/01/2020 को ए0सी0जे0एम0 प्रथम हिलसा द्वारा संज्ञान आदेश

दौरा सुपुर्द : दि0– 22/08/2022 को जे0एम चतुर्थ हिलसा द्वारा दौरा सुपुर्दगी

थाना : चण्डी

जिला : नालन्दा

आरोप अन्तर्गत दफा– 341, 323, 448, 308, 504, 506/34 भा0द0वि0

अभियोजन की ओर से : श्री ब्रजनन्दन प्रसाद अभियोजन पदाधिकारी

बचाव पक्ष की ओर से: श्री सच्चिदानन्द सिन्हा विद्वान अधिवक्ता

हिलसा दिनांक 06वीं मई 2026 ई0

निर्णय

1. उपरोक्त नामांकित तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा– 341, 323, 448, 308, 504, 506/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप का गठन कर विचारण किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि सूचक विद्यानन्द प्रसाद, पिता ब्रह्मदेव महतो, ग्राम धरमपुर, पो0– माधोपुर, थाना चण्डी, जिला नालन्दा के रहने वाले हैं। सूचक दो भाई नगीना प्रसाद एवं विद्यानन्द प्रसाद हैं और बंटबारा के लिए कई महीनों से विवाद चल रहा है। दिनांक 09/11/2017 को समय करीब 09 बजे रात में अपने घर में खाना खा रहे थे तो अचानक छत के ऊपर से घर में धुसकर नगीना प्रसाद, आकाश कुमार, एवं विकाश कुमार पीट–पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिए। उसी समय सूचक के बच्चे रोहित कुमार, मॉ सोनमंती देवी बचाने आए तो उसके साथ भी मार–पीट किया गया। ग्रमीणों के पहुंचने पर अभियुक्तगण भाग गए। सूचक एवं उसके बच्चे रोहित कुमार का इलाज रेफरल अस्पताल चण्डी में किया गया।

3. सूचक के उपरोक्त लिखित आवेदन के आधार पर चण्डी थाना काण्ड थाना सं0–317/17, दिनांक 11/11/2017, अन्तर्गत धारा– 341, 323, 448, 308, 504, 506/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत काण्ड दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। संज्ञानोपरान्त यह वाद दिनांक 22/08/22 को दौरा सुपुर्द किया गया तथा स्थानान्तरण के क्रम में यह वाद दिनांक 20/08/24 को इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात् अभियुक्तों की उपस्थिति के उपरान्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा– 341, 323, 448, 308, 504, 506/34 के अन्तर्गत आरोप गठित कर अभियुक्तों को हिन्दी में पढ़कर कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे अभियुक्तों के द्वारा इन्कार किया गया एवं वाद में विचारण का दावा किया गया।

4. अभियुक्तों द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा– 313 द0प्र0स0 के अन्तर्गत अपने को निर्दोष बताया गया तथा झूठा फंसाने की बात कथित की गई।

5. इस वाद में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन के द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफलता पाई है अथवा नहीं?

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

6. अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पूर्ण अवसर प्रदान किया गया, परन्तु अभियोजन द्वारा कुल एक साक्षी, जो कि अभियोजन साक्षी सं0– 1 विद्यानन्द प्रसाद, पिता स्व0 ब्रह्मदेव महतो (सूचक) का परीक्षण इस वाद में कराया गया है। अभियोजन साक्षी सं0– 1 विद्यानन्द प्रसाद जो कि इस वाद के सूचक सह जख्मी साक्षी हैं, के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण के दौरान कथन किया गया कि यह केस मैंने किया था। केस नगीना और अपने भतीजा विकाश और आकाश पर किए थे। यह घटना छः सात साल पहले शाम करीब सात–आठ बजे की है। सूचक अपने घर पर खाना खा रहे थे तो अभियुक्त जमीन को लेकर वाद–विवाद करने लगे। उसके बाद सूचक के साथ मार–पीट करने लगे। बिक्रम और रोहित को गंभीर रूप से चोट लगा था तथा मेरी मॉ सोनामंती देवी को भी मारा गया था। हाथा–पाई हुआ था। अस्पताल में इलाज नहीं हुआ था। पुनः कहते हैं, चण्डी में इलाज हुआ था। बाकी जख्मी लोगों का भी इलाज हुआ था। थाना में आवेदन मैंने दिया था। हस्ताक्षर पहचान पर प्रदर्श–1 अंकित किया गया है।

अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान कंडिका– 5 में साक्षी के द्वारा कथन किया गया कि मुदालय नगीना मेरा सौतेला भाई है और विकाश और आकाश सौतेला भतीजा है। कंडिका– 6 में सूचक कथन करते हैं कि हल्का–फुल्का आपस में बाता–बाती हुआ था और मुझे गिरने की बजह से चोट लगी थी। कंडिका– 7 में कथन करते हैं कि मुदलाय मेरे साथ मारपीट नहीं किया था। मेरी मॉ को चोट नहीं लगा था वह गिर गई थी। मैं सिर्फ अपना हस्ताक्षर करना जानता हूँ, पढ़ना–लिखना नहीं जानता हूँ। कंडिका– 09 में कथन करते हैं कि फर्दबयान मुझे पढ़कर नहीं सुनाया गया था सिर्फ मैंने हस्ताक्षर किया था। मेरे और मेरे भाई में संधी हो गया है। संधी–पत्र में मेरा हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण के कंडिका– 10 में कथन करते हैं कि मैं मुकदमा नहीं लड़ना चाहता हूँ। मेरे बेटे रोहित की मृत्यु दो–तीन साल पहले एक एक्सिडेंट में हो गई। पुलिस में मेरा कोई बयान नहीं हुआ था।

7. उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित है कि अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पूर्ण अवसर प्रदान किया गया था। वाद में दिनांक 23/11/23 को आरोप का गठन किया गया तत्पश्चात् अभियोजन को

साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर दिया गया परन्तु इस वाद में सिर्फ सूचक को साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया। सूचक सह जख्मी साक्षी के द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान स्पष्टतः यह कथन किया गया कि मुदालय नगीना मेरा सौतेला भाई है और विकाश और आकाश सौतेला भतीजा है। कंडिका– 6 में सूचक कथन करते हैं कि हल्का–फुल्का आपस में बाता–बाती हुआ था और मुझे गिरने की बजह से चोट लगी थी। कंडिका– 7 में कथन करते हैं कि मुदलाय मेरे साथ मारपीट नहीं किया था। मेरी मॉ को चोट नहीं लगा था वह गिर गई थी। मैं सिर्फ अपना हस्ताक्षर करना जानता हूँ, पढ़ना–लिखना नहीं जानता हूँ। कंडिका– 09 में कथन करते हैं कि फर्दबयान मुझे पढ़कर नहीं सुनाया गया था सिर्फ मैंने हस्ताक्षर किया था। मेरे और मेरे भाई में संधी हो गया है। संधी–पत्र में मेरा हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण के कंडिका– 10 में कथन करते हैं कि मैं मुकदमा नहीं लड़ना चाहता हूँ। मेरे बेटे रोहित की मृत्यु दो–तीन साल पहले एक एक्सिडेंट में हो गई। पुलिस में मेरा कोई बयान नहीं हुआ था।

8. अतः उपरोक्त साक्ष्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि स्वयं सूचक जो स्वयं जख्मी साक्षी हैं के द्वारा अपने केस का समर्थन नहीं किया गया तथा अन्य कोई साक्षी अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। काण्ड दैनिकी के अवलोकन से प्रतीत होता है कि सिर्फ सूचक विद्यानन्द प्रसाद को साधारण प्रकृति का जख्म कारित है एवं जख्म पत्र निर्गत है। अन्य किसी को न ही कोई जख्म कारित है और न ही साक्षी के रूप में किसी अन्य जख्मी का बयान काण्ड दैनिकी में अंकित किया गया है। सूचक साक्षी के द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है तथा इस वाद में अभियुक्तगण से सुलह–समक्षौते की भी बात कथित की गई है। सुलहनामा अभिलेख के साथ संलग्न है। अतः उपरोक्त साक्ष्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन अपने वाद को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। परिणामतः निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

9. अभियुक्त 1. नगीना प्रसाद, 2. आकाश कुमार एवं 3. विकाश कुमार को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप अन्तर्गत धारा– 341, 323, 448, 308, 504, 506/34 भा0द0वि0 के आरोपों से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण एवं उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

लेखापित

Deepak Ku Yadav

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा, नालन्दा
दि0 06/05/2026

COURT OF A.D.J. IIIrd Civil Court Hilsa (Nalanda)

लेखापित संशोधित एवं उदघोषित

Deepak Ku Yadav

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा, नालन्दा
दि0 06/05/2025

COURT OF A.D.J. IIIrd Civil Court Hilsa (Nalanda)